

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुंझुनूं

सीन अधिकारी :- मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

ना पत्र :- 01/2025

GCMS NO- 2025/8

वान - जगदीश प्रसाद पुत्र कानाराम उम्र कानाराम मेघवाल निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं।

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी।

वक्ता प्रार्थी - श्री हेमरसिंह

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

निर्णय दिनांक : 07.10.2025

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, आधार कार्ड (जगदीश प्रसाद) मृत्यु प्रमाण (कानाराम), राशन कार्ड, पहचान पत्र (कानाराम), राशन कार्ड (जगदीश प्रसाद के नाम से), साक्ष्य में न, देशराज का शपथ पत्र, साक्ष्य में मिलान क्षेत्रफल, भूमि जोत पास बुक की फोटो प्रति तथा तहसीलदार खेतड़ी के क्रमांक मू.अ./25/956 दिनांक 28.04.2025 की रिपोर्ट मय मौका फर्द रिपोर्ट क 23.04.2025 में स्पष्ट अभिशप्ता के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 अनुसार में ग्राम रसूलपुर पटवार मण्डल रसूलपुर की जमाबंदी संवत् 2075-78 के खाता सं. 28,, 25 वाके ग्राम ताल पटवार मण्डल रसूलपुर के खाता संख्या 27 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को लिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश जाते है। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो तो रहन मुक्त होने पर ही श का अमल दरामद हो।

सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	रसूलपुर	जमाबंदी संवत् 2075-78 के खाता सं. 28 के खसरा नम्बर 603 रकबा 0.38 है.	कालिया पुत्र गोपाल	कानाराम उर्फ कालिया पुत्र गोपाल
	ताल	जमाबंदी संवत् 2075-78 के खाता सं. 27 के खसरा नम्बर 762 रकबा 2.48 है.	काना पुत्र गोपाल	कानाराम पुत्र गोपाल
	रसूलपुर	खाता संख्या 25 के खसरा नम्बर 128, 81 किता 2 कुल रकबा 1.86 है.		

(मुकेश चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी दिनांक :- 07.10.2025

क्रमांक :- राजस्व/2015/305

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार खेतड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र कानाराम उम्र कानाराम मेघवाल निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर, खेतड़ी